तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	17/11/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते पेश करने प्रार्थी नियत 25/11/25 को पेश हो। SDO
	25/11/25 पत्रावली पेश। वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। बार-बार आवाज दिलाने जाने के बाद भी वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल हो। SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

अशोक कुमार बनाम जगदीश
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02 / 136 / 2022

01.08.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खाता संख्या 115 खसरा संख्या 286 / 0.30 है0 वाके ग्राम नाण्डू तहसील टहला जिला अलवर को से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य न करें ना ही उक्त आराजी के कब्जे–कास्त व उपयोग–उपभोग में प्रार्थीगण के साथ व्यवधान उत्पन्न करें ना ही उक्त आराजी को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध करें अथवा कराये एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को आराजी के खाता संख्या 115 खसरा संख्या 286 / 0.30 है0 वाके ग्राम नाण्डू तहसील टहला को आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.08.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि आगामी तारीख पेश 25.08.2022 तक विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 25.08.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

25/8/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 3/11/22 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
25/11/25 पत्रावली पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बरान से खारिज होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature]	